बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

194215

पत्रांक-ग्रा.वि.-9(विविध)-07/2012- पटना, दिनांक 25-07-2014

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

एस० एम० राजू
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषयः- जल संसाधन विभाग के अधीन नहर पुनर्स्थापन, बाढ़ नियंत्रण, बाँध सुदृढ़ीकरण, चौर नवीकरण कार्य हेतु मनरेगा से कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंगः- जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत संयुक्त परिपत्र सं०बाढ़ (मो०)सिंवि-01/2011-600 दिनांक 08.03.2011

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने का कानूनी प्रावधान है। योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका nrega.nic.in पर देखी जा सकती है। प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा नहर/कैनाल के डीसिल्टेशन, बाँध उन्नयन, कटाव रोकने हेतु स्पर निर्माण इत्यादि एवं अन्य कटाव निरोधक कार्य जिसमें मजदूरी एवं सामग्री अनुपात क्रमशः 60:40 है अथवा मजदूरी का अंश 60 प्रतिशत से अधिक है, के लिये योजना तैयार करने तथा कार्य शुरू कराने के संबंध में निदेश दिया गया था।

2. इस क्रम में कहना है कि योजना के अन्तर्गत अनुमान्य कार्यों के श्रेणी में

i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय अन्तर्गत कन्टूर खाइयाँ, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गैबियन संरचनाएँ (बेलनाकार संरचनायें कैचमेंट वाले नाले पर भारी कटाव को रोकने के लिये), भूमिगत नहरें, मिट्टी के बाँध और झरनों का विकास जिनके अन्तर्गत स्लूइस गेट, चेक डैम , ट्रेंच, वाटर शेड संरचनाएँ आदि आते हैं,

ii) सिंचाई नहरें जिसके अन्तर्गत नहरो का निर्माण/सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है,

iii) जलरूद क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण (चौर से जल निकासी, ड्रेनेज चैनेल), बाढ़ नियंत्रण हेतु बांध निर्माण/सुदृढ़ीकरण, क्रॉस ड्रेनेज (अबरूद्ध जल को सड़क के एक तरफ से दूसरे तरफ ढाल के अनुसार) आदि कार्य का चयन किया जा सकता है।

3. तदनुसार जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडलों द्वारा नहर/कैनाल के डीसिल्टेशन, बाँध उन्नयन, कटाव रोकने हेतु स्पर निर्माण, बाढ़ शरण स्थल, कटाव निरोधक कार्य तथा चौर विकास की

योजनाओं आदि के कार्यान्वयन के संबंध में प्रासंगिक पत्र के क्रम में यह दिशानिर्देश दिया जाता है कि प्रथम चरण में हर एक सहायक अभियंता के क्षेत्र में कम-से-कम एक कार्य का कार्यान्वयन मनरेगा के अन्तर्गत लिया जाए। तदनुसार वर्ष 2014-15 की कार्य योजना में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कार्यो को शामिल किया जाय, ताकि 2014-15 में भी प्रत्येक सहायक अभियंता के क्षेत्रान्तर्गत कम से कम 1-1 अतिरिक्त नहरों के उढ़ाहीकरण/बॉधों के सुदृढ़ीकरण अथवा चौर विकास से संबंधित कार्य लिया जा सके।

4. मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो का चयन, कार्यान्वयन की प्रक्रिया, अभिलेखों के संधारण, भुगतान, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नवत् मुख्य प्रावधान है:-

i) मनरेगा योजना अंतर्गत निबंधित मजदूरों के माध्यम से कार्य किया जाना है।

ii) योजना का चयन एवं उसके कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निदेश (MGNERGA Operational Guidelines, 2013) के आलोक में अन्य कार्यान्वयन निकायों (जिसमें लाइन विभाग आते हैं) के द्वारा योजनायें जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा में रखने के लिय वार्षिक कार्य योजना के निर्धारण हेतु आयोजित ग्राम सभा को पूर्व उपलब्ध करा दिया जाना है। ग्राम सभा द्वारा पारित योजना का हीं कार्यान्वयन मनरेगा अंतर्गत किया जा सकता है।

iii) मनरेगा की योजनाओं में श्रम तथा सामग्री का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 संधारित किया जाना है।

iv) योजना के कार्यान्वयन में संवेदक का प्रावधान नहीं है।

v) योजना के कार्यान्वयन में लेबर डिसप्लेसींग मशीन पर रोक है, अर्थात् मिट्टी कटाव एवं भराई कार्य में मशीन नहीं लगायी जाएगी। मिट्टी कम्पैकसेन (Compaction) एवं मटेरियल के कम्पैक्शन (Compaction) के लिए मशीन लगायी जा सकती है, जिसकी समुचित प्रविष्टि अभिलेख में सामग्री मद अन्तर्गत की जाएगी।

vi) मजदूरी का भुगतान मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित दर पर किया जोयगा जो काम किये जाने के 15 दिनों के अन्दर मजदूरों को कर देना है। भुगतान मजदूरों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाना है।

vii) काम शुरू करने की प्रक्रिया-काम का आवंटन- मस्टर रौल तैयार करना, मजदूरी एवं अभिश्रवों का भुगतान तथा निधि प्रबंधन से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभागीय पत्रांक-114035 दिनांक 18.07.2012 (संलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत है।

5. इन कार्यो का प्राक्कलन जल संसाधन प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा तैयार कराया जाएगा। प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदन (Technical approval) प्रदान करने के उपरान्त प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजा जाएगा, जिनके स्तर से सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इस आदेश की प्रति संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जाएगा, जो उक्त क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के कार्य की मांग करने वाले मजदूरों की सूची ई० मास्टर एवं मापीपुस्त कार्यान्वयन निकाय को उपलब्ध करायेगें। कार्यान्वयन एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रमंडल होंगे। संयोजक के रूप में विभागीय कनीय अभियंता कार्य करेंगे।

6. प्राक्कलन में मनरेगा योजना के नियमानुसार आवश्यक मद का प्रावधान होगा।

7. ई० मस्टररॉल का संधारण विभागीय संयोजक मेट के मदद से करेंगे।

8. कनीय अभियंता द्वारा कृत कार्य के मापीपुस्त संधारित मस्टररॉल एवं एडभाइस तैयार कर सहायक अभियंता के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक अभियंता जॉचोपरान्त बैंक/पोस्टऑफिस द्वारा संबंधित मजदूरों को भुगतान करायेंगे।

9. योजना के अन्तर्गत कार्यो का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर किया जाएगा। सामग्री मद में 40% से उपर बोल्डर पिचिंग अथवा पक्के कार्य को अन्य कार्यक्रमों के तहत कराया जाएगा।

10. योजनाओं का कार्यान्वयन मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, इस हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक सभी संबंधित अभियंताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

11. योजना के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि के 3 प्रतिशत के समतुल्य प्रशासनिक आकस्मिकता की व्यवस्था है। इसका उपयोग स्टेसनरी, कम्प्यूटर, विशेष रूप से लगाये गये कर्मियों यथा Executive Assistant, IT Personal जो मस्टर रॉल के संधारण में सहयोग करेंगे आदि में किया जा सकता है।

12. जिला कार्यक्रम समन्वयक अपनी मासिक समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा के अन्तर्गत नहरों के उड़ाहीकरण/बॉधों के सुदृढ़ीकरण अथवा चौर विकास से संबंधित निर्माण के कार्य की प्रगति की सामयिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग अपने-अपने क्षेत्र में इस निदेश के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(एस० एम० राजू)
सचिव, 24/7/14

ग्रामीण विकास विभाग, पटना ।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिह)
सचिव,

जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-ग्रा.वि.-9(विविध)-07/2012-194215 पटना, दिनांक 25-07-2014

प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को माननीय मंत्री के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(एस० एम० राजू)
सचिव, 24/7/14

ज्ञापांक-ग्रा.वि.-9(विविध)-07/2012-194215 पटना, दिनांक 25-07-2014

प्रतिलिपि विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(एस० एम० राजू)
सचिव, 24/7/14

ज्ञापांक-ग्रा.वि.-9(विविध)-07/2012-194215 पटना, दिनांक 25-07-2014

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(एस० एम० राजू)
सचिव, 24/7/14